

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/06/2015

दर्ज दिनांक:-11.02.2015

1. ईश्वरसिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार

पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दुलीचंद शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण वाद ग्रस्त हाल आ.ख.नं. 2228/0.83 सिवायक गै. मु. पोखर मकबूजा राज बिना लगानी पानी के नीचे डूबे हुए क्षेत्र स्थित ग्राम नगला माना तह0 भरतपुर खातेदारी चाही गई है। यह ख.नं. गत ख.नं. 2168/5.14 विस्वा गै. मु. रास्ता से बना है। जो संवत 2016 की जमाबंदी में रास्ता दर्ज है। नाम कृषक के कॉलम में श्याम सुन्दर नम्बरदार की नाम की प्रविष्टि नहीं है। वादी द्वारा अपने दावा के कथनों के समर्थन में आर.टी.एक्ट.1955 के प्रभाव शील होने के संवत 2012 की जमाबंदी भी पेश नहीं की है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय के अनुसार पानी के नीचे डूबे हुए क्षेत्रों परम्परागत रास्तों पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। दावा वादी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:-

दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर